।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाजार,जोधपुर(पूर्व)।।

प्रेस–नोट

दिनांकः–04.07.2024

- **जोधपुर आयुक्तालय के पिछले 30 वर्षो से फरार पुलिस थाना सदर बाजार का सबसे पुराना उद्घोषित (PO) आरोपी मातूराम उर्फ मातूसिंह बागोर भीलवाडा से गिरफ्तार।**
- **फरार अभियुक्त वारदात कर अपने गांव लाडनू से फरार होकर आमली कॉलोनी कंजर बस्ती, बागोर, जिला भीलवाडा में निवास करने लगा।**

घटना विवरणः–
प्रार्थी श्री गोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री बजरंगलाल अग्रवाल आयु 31 साल पैशा व्यापार निवासी पावटा द्वितीय पोलो हाल दुकान कटला बाजार जोधपुर ने दिनांक 02.04.1994 को लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि कटला बाजार में मेरी एक फर्म है जहां पर मातूराम पुत्र धर्मदास निवासी लाडनू नौकरी कर रहा है उसने मूझे झुठा झासा देकर नगद 1705 रूपये ले लिये तथा मेरी अलग अलग पार्टी से झासा देकर कुल 5457 रूपये नगद/ माल के रूप में उठा लिये तथा वापस देने का कहने पर झासा दे रहा था तथा पिछले 2 माह से वो जोधपुर भी नहीं आ रहा है। वगैरा रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 76 दिनांक 02.04.1994 धारा 406 भादस में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

दौराने अनुसंधान आरोपी मातूसिंह उर्फ मातूराम पुत्र धर्मदास उर्फ रामसिंह की तलाश की गई लेकिन आरोपी अपने घर से हर बार रूकसत ही मिला जिस पर आरोपी के विरूद्व धारा 299 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में चालान पेश किया गया था। माननीय न्यायालय से अभियुक्त को उद्घोषित करवाकर स्थाई वारण्ट जारी करवाया गया। आरोपी की तलाश पिछले 30 सालो से निरन्तर की जा रही है लेकिन आरोपी अपने गांव अपनी पत्नी व बच्चों का छोडकर पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए बागोर भीलवाडा में दुसरी शादी करके निवास करने लग गया जिस बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया। आरोपी पिछले 30 वर्षो से अजमेर व भीलवाडा जिलों में फरारी काट रहा था।

कार्यवाही पुलिसः–
श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री राजेन्द्रसिंह, श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जोधपुर पूर्व श्री आलोक श्रीवास्तव, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पूर्व श्री विरेन्द्रसिंह व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त वृत केन्द्रीय जोधुपर पूर्व श्रीमती मगंलेश चुण्डावत के सुपरविजन में मन थानाधिकारी दयालाल चौहान नि0पु0 नेतृत्व में श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय जोधपुर आयुक्तालय द्वारा चलाये जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड की कार्यवाही हेतु थाना स्तर पर टीम का गठन किया जाकर श्री हीराराम हैडकानि मय टीम को रवाना किया। टीम द्वारा लाडनू पहुंचकर आसुचन संकलित कर आरोपी के वर्तमान निवास का पता कर आरोपी को बागोर जिला भीलवाडा से दिनांक 03.07.2024 को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नामः–01. **मातूराम उर्फ मातूसिंह पुत्र धर्मदास उर्फ रामसिंह उम्र 55 साल जाति रावणा राजपुत निवासी लाडनू जिला कुचामण डिडवाण हाल निवासी वार्ड नं. 03 आमली का बास बागोर पुलिस थाना बागोर जिला भीलवाडा।**

वारदात का तरीकाः–अभियुक्त द्वारा प्रार्थी को धोखे में रखकर रूपये व दुकान से माल हडपन फरार हो जाना।

<u>कार्यवाही में शामिल पुलिस टीमः—</u>

1.श्री दयालाल चौहान, निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व।
2.श्री हीरालाल हैडकानि 965, पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व। (विषेश भुमिका)
3.श्री राकेश कानि नं.70, पुलिस थाना सदर बाजार जोधपुर पूर्व। (विषेश भुमिका)

भवदीय
सही/—
(दयालाल चौहान नि0पु0)
थानाधिकारी
पुलिस थाना सदर बाजार
जोधपुर पूर्व।